न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 10/2020

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2020/00093

प्रार्थी

भीमाराम पुत्र रगारामजी
कौम–कलबी, साकिन–डडुसन,
हाल–नेहरू कॉलोनी सांचौर
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण

1 घेवरचंद पुत्र घमंडीरामजी
2 दरजमल पुत्र धमंडीरामजी
3 राधादेवी पत्नी घमंडीराम
4 जया देवी पत्नी घेवरचंदजी
5 उर्मिला देवी पत्नी दरजमलजी
कौम–सुनार, निवासीगण–सुनारों
का वास सांचौर, तहसील–सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 13.08.2020

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी श्री भीमाराम विद्वान अधिवक्ता स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जूनेजा उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 17.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा की आई हुई है। उक्त हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा की आई हुई है। उक्त भूमि मुझ प्रार्थी ने सूरताराम पुत्र भीमाजी, कौम–रेबारी, साकिन–सांचौर से जरिये बैंचान दस्तावेज के बही संख्या 1 जिल्द संख्या 119 सिलसिला नंबर 345/90 दिनांक 07.06.1990 को खरीद की थी, जिसके पुराने खसरा नंबर 32 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा खरीद किया था। जिसका नामान्तरकरण संख्या 281 दिनांक 14.10.1991 को प्रार्थी के नाम से भरा जाकर स्वीकृत किया था खरीद की दिनांक से लगातार कब्जा काश्त मुझ प्रार्थी का चला आ रहा है। उक्त खेत खसरा नंबर 118 जिसके पुराने खसरा नंबर 32 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा में से 1/3 हिस्से का बंटवाड़ा हेतु श्रीमान सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 43/93 अनवान भीमाराम बनाम आम्बाराम वगैरह का पेश हुआ जिसका निर्णय दिनांक 06.06.1994 को प्रार्थी के पक्ष में खेत खसरा नंबर 32 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि दक्षिण की तरफ की भीमाराम के पक्ष में इस आशय का आदेश व डिकरी पारित की गई तहसीलदार सांचौर मौके पर नजरी नक्शा अनुसार बण्ट करके रिकॉर्ड में अमल दरामद करावें। तहसीलदार साहब ने मौके व नजरी नक [illegible] राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया तथा बंटवाड़ा का नामान्तरकरण संख्या 214 दिनांक [illegible] 1994 [illegible] तथा नक्शा में अलग से तरमीम की गई, नामान्तरकरण संख्या 214 की प्रति क[illegible] अलग नक्शा तरमीम किया गया। पुराने खसरा नंबर 32 में से नये खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 है[illegible]र भूमि दिनांक 15.05.1994 को श्रीमान तहसीलदार सांचौर के आदेशांक/राज/94/402 दिनांक 03.05.1994 की पालना में वाद संख्या 43/93 यु./एस 53 आर.टी.एक्ट में हल्का पटवारी सांचौर से नजरी नक्शानुसार दक्षिण की तरफ का हिस्सा भीमाराम के हिस्से में था। जिसके पूर्व की तरफ सांचौर से हाडेचा जाने वाली सड़क है सड़क की तरफ की भूजा 290 फुट तथा पूर्व पश्चिम की भुजा 73 फुट दक्षिण की तरफ की भूजा 73 फुट

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

तथा खसरा नंबर 118 के पश्चिम की भुजा 290 फुट का हल्का पटवारी ने पक्षकारान एवं मौतबिरान के रूबरू नक्शा बनाया उसी माफिक मौके पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। वांके सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर का राजस्व वाद संख्या 125/96 अनबान भीमाराम बनाम मोहनलाल, दरजमल में सहायक कलक्टर सांचौर के न्यायालय से निर्णय दिनांक 14.05.1998 को धारा 188 आर.टी.एक्ट में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई की वांके सांचौर के खेत खसरा नंबर 32 जिसके नवीन खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर (एक बीघा 5 बिस्वा) वादी के हक में तथा प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की खातेदारी भूमि एवं कब्जाकाश्त सुदा भूमि पर किसी प्रकार की दखलंदाजी हस्तक्षेप तथा व्यवधान की कार्यवाही न तो स्वयं करेगा तथा न ही किसी अन्य से करवायेगा, इस आशय की डि•ही वादी भीमाराम के पक्ष में पारित की गई। अप्रार्थीगण ने खेत खसरा नंबर 119, 120, 121 मोहनलाल से खरीद किया है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से जैसे मोहनलाल पाबन्द थे उसी प्रकार खरीददार पाबन्द होंगे। श्रीमान तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक 101 दिनांक 22.12.2015 को खेत खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर का पैमाईश भू–अभिलेख निरीक्षक धमाणा व सांचौर पटवारी द्वारा की गई।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा संख्या 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 119, 120, 121 से लगती हुई। उक्त माठ को अप्रार्थीगण हर वक्त तोड़ने का प्रयास करते है तथा सीमा चिन्हों को नष्ठ करने का प्रयास करते है अतः खसरा संख्या 118 रकबा 0.20 हेक्टेयर के पश्चिमी माठ का सही सीमा पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खातेदार आराजी को ए.सी.एम. कोर्ट सांचौर के मुकदमा नंबर 43/93 फैसला दिनांक 06.06.1994 का होने पर माफिक बंटवाड़ा म्यूटेशन नंबर 34 खोला गया है, जिसमें माफिक बंटवाड़ा के खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम रेकर्ड में दर्ज किया गया। म्यूटैशन संख्या 34 दिनांक 11.07.1997 के तहत बनाये गये नक्शे के अनुसार वर्तमान में नक्शा नहीं है। प्रार्थी के खसरा नंबर 118 का नक्शा माफिक बंटवाड़ा आदेश व नामान्तरकरण के विपरित बड़ा कर दिया गया है, जिसकी रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र संख्या 07/2018 माननीय अदालत में विचाराधीन है। प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर का वर्तमान नक्शा ए.सी.एम कौर्ट के निर्णय दिनांक 06.06.1994 के तहत भरे गये नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 11.07.1997 के विपरित पैमाने से बड़ा होने के कारण तथा उक्त गलत नक्शे की दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र माननीय अदालत में विचाराधीन होने से प्रार्थी गलत नक्शे के आधार पर पैमाईश पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने आदेश देने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:15 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी [illegible] प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के वांके सरहद मौजा सांचौर के खेत खसरा नं [illegible] रकबा 0.20 हैक्टेयर की पश्चिमी माठ जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 119, 120, 121 से लगती हुई है उक्त माठ को अप्रार्थीगण हर वक्त तोड़ने का प्रयास करते है तथा सीमा चिन्हों को नष्ट करने का प्रयास करते है। अतः खेत खसरा संख्या 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर के पश्चिम माठ का सही सीमा पर पत्थरगढ़ी करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 118 रकबा 0.20 हैक्टेयर का वर्तमान नक्शा ए.सी.

उपखण्ड अधिकारी

एम कोर्ट के निर्णय दिनांक 06.06.1994 के तहत भरे गये नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 11.07.1997 के विपरित पैमाने से बडा होने के कारण उक्त गलत नक्शे की दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से प्रार्थी गलत नक्शे के आधार पर पैमाईश कर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज करने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर से संबंधित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर में इसी नक्शा दुस्स्त को लेकर वाद विचारधीन होने एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचदन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 नक्शा दुरूस्ती का वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन होने तथा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया साबित नहीं होने व सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार ,आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **17.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:15 IST
Reason: SelfAttested